

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-03/2022

07

/पटना, दिनांक-


2-1-26

वित्त विभाग के संकल्प सं0-8043 दिनांक-11.10.2017 में सन्निहित प्रावधान के आलोक श्रीमती निवेदिता, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-5, मुजफ्फरपुर का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग (प्रतिनियुक्त MR-3054 कोषांग) को प्रभार ग्रहण की तिथि दिनांक 06.10.2025 (पूर्वाह्न) से अनुमान्य परिवहन भत्ता (3000/- + DA) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह भत्ता अवकाश/प्रशिक्षण/भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।

3. इन्हें आवास से कार्यालय आने-जाने के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में यह भत्ता देय नहीं होगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


02/01/26


(अभय झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-03/2022

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषांगार पदाधिकारी, जिला कोषांगार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


02/01/26


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 5/अ0प्र0-01-03/2022

60

/पटना, दिनांक- 2-1-26

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ मुख्य अभियंता-5, मुजफ्फरपुर, ग्रामीण कार्य विभाग/नोडल पदाधिकारी, MR-3054 कोषांग/श्रीमती निवेदिता, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-5, मुजफ्फरपुर का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


02/01/26

सरकार के अपर सचिव

